**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1311**

**14 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए**

**रक्षा संस्थापनों और इंट्रानेट को साइबर हमलों से बचाया जाना**

**1311. श्री राजीव चन्द्रशेखरः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सरकार ने रक्षा संस्थापनों तथा रक्षा इंट्रानेट को साइबर जासूसी तथा साइबर हमलों से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय तथा जोखिम प्रबंधन योजनाओं को स्थापित कर दिया है।
2. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित गोपनीय सूचना को साइबर-जासूसी तथा साइबर हमले से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने हेतु रूपरेखा के एक भाग के रूप में खतरा प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए साइबर ऑपरेशन केंद्रों की स्थापना सहित बहुत से उपाय किए हैं। साइबर-हमले से महत्वपूर्ण तथा गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशनल नेटवर्कों को इंटरनेट से बिल्कुल अलग रखा गया है। इसके अलावा रक्षा सेनाओं ने साइबर हमलों को नियंत्रित करने तथा प्रति-कार्रवाई करने के लिए साइबर आपात प्रत्युत्तर दल (सीईआरटी) बनाए हैं। ऑडिटों तथा प्रत्यक्ष जांचों के रूप में सुरक्षोपाय लगाए गए हैं। इसके अलावा इस संबंध में नीतियां, दिशानिर्देश तथा प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं और समय-समय पर साइबर सुरक्षा परामर्शी जारी की जाती हैं।

\*\*\*